राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

(17)

क्रमांक : प.15(5)शिक्षा–1/प्रा.शि./2003 पार्ट–II   जयपुर, दिनांक: 27|8|07

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– राज्य मे निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए प्रवेश प्रक्रिया मे सम्मिलित किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 9 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 मे अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2007–08 हेतु नियमानुसार काउन्सलिंग मे सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1	गीताञ्जली बी.एड. कॉलेज, बोरावड, नागौर	STC	50
2	पं.जे.पी. उपाध्याय टी.टी. कॉलेज, टोंक	STC	50
3	चिल्ड्रन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, छावनी, कोटा	STC	50
4	श्री शिरडी साईं बाबा गर्ल्स बी.एड. कालेज किशनगढ–रैनवाल, जयपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
5	शेखावटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, लोसल, सीकर	STC	50
6	नवजीवन को–एज्युकेशन एलीमेन्टी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, न्यू घडसाना, श्रीगंगानगर	STC	50
7	अरावली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, नीम का थाना, सीकर	STC	50
8	कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय दौलतगंज, तह0–लाडपुरा, कोटा	STC	50
9	छोटी देवी मेमोरियल गर्ल्स बी.एड. कॉलेज डीडवाना, नागौर	STC	50

क्रमशः.....2

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जावे। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. शैक्षिक सत्र 2007–08 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेंगी।

शासन उप सचिव
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2007, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. संबंधित संस्था ....
8. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव